प्रकाशन तिथि - 12.07.2021

बिक्री हेतु नहीं

सहकारी समितियों के निर्वाचन में उम्मीदवारों और
शासकीय कर्मियों के मार्गदर्शन हेतु

आदर्श आचार संहिता

2021

सत्यमेव जयते

उ0प्र0 राज्य सहकारी समिति निर्वाचन आयोग लखनऊ

16, अशोक मार्ग, लखनऊ

केवल शासकीय प्रयोग हेतु

भारतीय संविधान के अनुच्छेद–43–ख एवं अनुच्छेद–243–य ट तथा उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा–29 के दृष्टिगत प्रदेश की सहकारी समितियों के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न कराने का दायित्व उ0प्र0 राज्य सहकारी समिति निर्वाचन आयोग का है। अतः इन निर्वाचनों को स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा भयरहित रूप से सम्पादित कराने हेतु एक "आचार संहिता" की परम आवश्यकता है, ताकि सहकारी समितियों के निर्वाचनों की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता निरन्तर बनी रहे।

उपरोक्त उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए, उ0प्र0 राज्य सहकारी समिति निर्वाचन आयोग द्वारा यह आचार संहिता बनायी की गयी है, जो निर्वाचनों के दौरान सभी उम्मीदवारों, मतदाताओं, निर्वाचन से सम्बद्ध शासकीय/अर्ध शासकीय विभागों और चुनाव प्रक्रिया से सम्बद्ध अधिकारियों/कर्मचारियों आदि पर लागू होगी।

आदर्श आचार संहिता के अधिकांश प्राविधान भारतीय दण्ड संहिता 1860, उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम, 1965 तथा अन्य अधिनियमों एवं प्रख्यापित नियमों में पूर्व से ही निहित हैं। इस संहिता का उल्लंघन करने वालों को उक्त अधिनियमों के अन्तर्गत दण्ड दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ऐसे व्यक्ति विशेष/निर्वाचित सदस्य को अनर्ह घोषित किया जा सकता है तथा भविष्य में सहकारी निर्वाचन में भाग लेने के अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

अतः संविधान के अनुच्छेद–243–य ट, उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम 1965 एवं राज्य सरकार द्वारा प्रख्यापित उ0प्र0 राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली–2014 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उ0प्र0 राज्य सहकारी समिति निर्वाचन आयोग निम्नलिखित आदर्श आचार संहिता अधिसूचित करता है:–

(क) <u>सामान्य आचार संहिता</u> :–

(1) सहकारी समितियों के किसी पद का निर्वाचन राजनैतिक दल के आधार पर नहीं लड़ा जाएगा।

(2) कोई भी उम्मीदवार भले ही किसी राजनैतिक दल से सम्बद्ध हो, निर्वाचन के दौरान अपने अथवा किसी राजनैतिक दल के चुनाव चिन्ह एवं झण्डे अथवा किसी तरह के प्रतीकों का प्रयोग नहीं करेगा।

(3) कोई भी उम्मीदवार ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा, जिससे किसी धर्म (मजहब), सम्प्रदाय, जाति के लोगों की भावना आहत हो या उनमें तनाव की स्थिति उत्पन्न होने की सम्भावना हो।

(4) कोई भी उम्मीदवार जातीय, साम्प्रदायिक अथवा धार्मिक भावना का मत प्राप्त करने हेतु आधार नहीं लेगा।

(5) धार्मिक स्थलों, जैसे मन्दिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, गिरिजाघर का प्रयोग निर्वाचन में प्रचार हेतु तथा निर्वाचन सम्बन्धी अन्य कार्यों हेतु नहीं किया जाएगा।

(6) किसी भी उम्मीदवार या उम्मीदवारों की समालोचना, उसकी नीतियों तथा कार्यक्रमों तक सीमित रहेगी। किसी के व्यक्तिगत जीवन की आलोचना नहीं होनी चाहिए।

(7) कोई भी उम्मीदवार/कार्यकर्ता, लिखकर, बोलकर अथवा किसी ऐसे झण्डे, बैनर, प्लेकार्ड अथवा कम्प्यूटर साधनों/सामग्री का सार्वजनिक प्रर्दशन नहीं करेगा और न करवायेगा, जिससे दूसरे उम्मीदवार/कार्यकर्ता की भावनाओं को ठेस पहुचती हो।

(8) सभी उम्मीदवार ऐसे कार्यों से ईमानदारी के साथ परहेज करेंगे, जो निर्वाचन–विधि के अन्तर्गत भ्रष्ट आचरण अथवा अपराध माने गये हैं, जैसे–

: निर्वाचन अधिकारी अथवा मतदाताओं को प्रलोभन देकर या भयाक्रान्त करके अपने पक्ष में प्रभावित करने का प्रयास करना,

: छद्म नाम से अपने पक्ष में मतदान कराने के लिए किसी व्यक्ति को किसी प्रकार से मदद करना या प्रोत्साहित करना,

: मतदान केन्द्र में या उसके आस–पास आपत्तिजनक या अशोभनीय आचरण करना, निर्वाचन से सम्बद्ध अधिकारियों के कार्य में बाधा डालना या अभद्र व्यवहार करना,

: मतदान केन्द्रों पर कब्जा करना अथवा मतदाता को अपने मत का प्रयोग करने से रोकना या मतदेय स्थल तक जाने में बाधा उत्पन्न करना अथवा किसी उम्मीदवार की उम्मीदवारी में बाधा उत्पन्न करना,

: मत पेटियों के मतपत्रों को नष्ट करना या अनाधिकृत व अवैध मतपत्रों को शामिल करना/कराना,

: मतदान केन्द्र के 100 मीटर के परिधि के अन्दर किसी प्रकार का चुनाव प्रचार करना अथवा मत याचना करना,

SHOT ON REDMI 7
AI DUAL CAMERA

2021/10/8 11:5

: मतदाताओं को मतदान केन्द्र के 200 मीटर परिधि के भीतर ले जाने के लिए वाहनों का उपयोग कराना,

: निर्वाचन कार्य में तैनात अधिकारियों के कर्तव्य पालन में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से व्यवधान उत्पन्न करना।

(ख) <u>चुनाव प्रचार</u> :–

(1) चुनाव के दौरान कोई भी उम्मीदवार किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति या व्यक्तियों की राय या कृत्यों का विरोध करने के लिए उसके निवास के सामने प्रदर्शन या धरना आयोजित नहीं करेगा।

(2) कोई भी उम्मीदवार चुनाव प्रचार के दौरान कोई ध्वज टांगने, सूचनाएं चिपकाने, नारे लिखने आदि के लिए किसी व्यक्ति की भूमि, भवन अहाते दीवार आदि का उपयोग बिना उसकी अनुमति के नहीं करेगा।

(3) किसी भी उम्मीदवार अथवा उसके समर्थकों द्वारा किसी भी दशा में प्रातः दस बजे के पूर्व एवं सायं छः बजे के पश्चात् ध्वनि विस्तारण यंत्रों/साधनों का प्रयोग नहीं किया जायेगा।

(ग) <u>मतदान दिवस</u> :–

(1) निर्वाचन कार्य पर लगे हुए अधिकारियों/कर्मचारियों को मतदान शान्तिपूर्ण स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तथा सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराने में सहयोग प्रदान किया जाय और मतदाताओं को इस प्रकार की स्वतंत्रता हो कि बिना किसी भय अथवा पक्षपात के वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

(2) मतदान स्थल पर मतदाता अथवा निर्वाचन अधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा।

(3) मतदान दिवस पर मतदान प्रारम्भ होने से 24 घंटे पूर्व से शराब पिलाने, बांटने तथा नशीले पदार्थ का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

(घ) <u>शासकीय विभाग एवं कर्मियों के लिए</u> :–

(1) निर्वाचन कार्य से सम्बद्ध अधिकारी/कर्मचारी निर्वाचन में बिल्कुल निष्पक्ष रहेंगे। यह आवश्यक होगा कि, उनके कार्य/आचरण से यह प्रदर्शित हो कि

SHOT ON REDMI 7
AI DUAL CAMERA
2021/10/8 11:53

वे निष्पक्ष हैं। उनके द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं किया जाएगा, जिससे किसी उम्मीदवार की मदद/विरोध का आभास होता हो।

(2) यदि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि, निर्वाचन के दौरान किसी अधिकारी/कर्मचारी जिसके सम्बन्ध में आयोग को शिकायत प्राप्त हुई हो, के आचरण से निर्वाचन की निष्पक्षता एवं स्वतंत्रता प्रभावित होने की सम्भावना हो तो ऐसी दशा में आयोग सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही, जैसा कि आयोग उचित समझे, की अपेक्षा सम्बन्धित विभाग से कर सकता है। आयोग से ऐसी अपेक्षा किए जाने पर सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि आयोग की अपेक्षानुसार तत्काल सम्बन्धित के विरूद्ध कार्रवाई करें।

(3) आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता प्रभावी करने की तिथि से निर्वाचन परिणाम घोषित होने की तिथि तक निर्वाचन से सम्बद्ध किसी भी अधिकारी/कर्मचारी का स्थानान्तरण नहीं किया जाएगा, यदि प्रशासनिक आधार जनहित में ऐसा करना आवश्यक हो तो आयोग की पूर्वानुमति से स्थानान्तरण किये जा सकेंगे।

(4) जिन सहकारी समितियों की प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचन हेतु तिथि एवं कार्यक्रम निर्धारित है, उनके सचिव/प्रबन्ध निदेशक, जैसी भी स्थिति हो, तथा निर्वाचन से सम्बद्ध अधिकारी एवं कर्मचारी निर्वाचन के दौरान आयोग के नियन्त्रण, पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन के अधीन कार्य करेंगे, साथ ही आयोग द्वारा उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई एवं अन्य दण्डनात्मक कार्रवाई तथा पद से हटाने की अपेक्षा किये जाने पर सम्बन्धित विभाग/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तद्नुसार तत्काल कार्रवाई किया जाना बाध्यकारी होगा और सम्बन्धित अधिकारी यदि जानबूझकर आयोग के निर्देशों की अवहेलना करता है, तो आयोग ऐसी कार्रवाई स्वयं करने के लिये स्वतंत्र होगा।

(एल0एम0 चौबे)
निर्वाचन आयुक्त

22/11/2017
(गंगादीन यादव)
मुख्य निर्वाचन आयुक्त

उ0प्र0 राज्य सहकारी समिति निर्वाचन आयोग के कार्यालय ज्ञाप-पत्रांक सी-137 /रा0स0नि0आ0 (74-आचार संहिता) दिनांक 03.01.2018 द्वारा दिये गये निर्देश-

आयोग के पत्रांक सी-131/रा.स.नि.आ. (आचार संहिता), दिनांक-26.12.2017 द्वारा सहकारी समितियों के निर्वाचन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से सम्पन्न कराने के उद्देश्य से आयोग द्वारा आचार संहिता प्रख्यापित/लागू किए जाने की स्थिति से अवगत कराया गया है।

आयोग के संज्ञान में आया है कि, आयोग द्वारा लागू की गयी आचार संहिता के बिन्दु (घ) (3) में उल्लिखित व्यवस्था, से भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है, जिसे और अधिक स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता है।

आयोग द्वारा प्रख्यापित "आदर्श आचार संहिता, 2017 के बिन्दु-(घ) (3) के प्राविधान निम्नवत हैः-

"आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता प्रभावी करने की तिथि से निर्वाचन परिणाम घोषित होने की तिथि तक निर्वाचन से सम्बद्ध किसी भी अधिकारी/कर्मचारी का स्थानान्तरण नहीं किया जाएगा, यदि प्रशासनिक आधार जनहित में ऐसा करना आवश्यक हो तो आयोग की पूर्वानुमति से स्थानान्तरण किये जा सकेंगे।"

उपर्युक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि, उ0प्र0 राज्य सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0, लखनऊ को छोड़कर आयोग द्वारा अभी किसी अन्य शीर्ष सहकारी संस्था एवं किसी भी जिला स्तरीय/केन्द्रीय सहकारी समितियों की प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचन हेतु तिथियों/कार्यक्रम निर्धारित नहीं किया गया है।

अतः एतदद्वारा स्पष्ट किया जाता है कि आयोग द्वारा प्रख्यापित "आदर्श आचार संहिता, 2017 के बिन्दु-(घ) (3) के प्राविधान वर्तमान में उन सहकारी समितियों पर प्रभावी नहीं होंगे, जिनके निर्वाचन की अधिसूचना निर्गत नहीं हुई है।

ह0-
(गंगादीन यादव)
मुख्य निर्वाचन आयुक्त

यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी का स्थानान्तरण, किसी प्रकार का शिलान्यास, उद्घाटन, लोकार्पण, आयोजन, समारोह/उत्सव एवं सामान्य निकाय की बैठक का आयोजन आवश्यक ही हो तो आयोग की पूर्वानुमति से ही कार्रवाई की जा सकेगी, अन्यथा की स्थिति में उक्त कार्य भी आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और उल्लंघन करने पर उत्तरदायी व्यक्ति के विरूद्ध आयोग स्तर से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने पर भी विचार किया जायेगा।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि, अपने जनपद में आयोग के उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये।

ह0-
(एल0एम0 चौबे)
निर्वाचन आयुक्त

उ0प्र0 राज्य सहकारी समिति निर्वाचन आयोग के कार्यालय ज्ञाप-पत्रांक सी -180/रा0स0नि0आ0 (74-आचार संहिता) दिनांक 28.01.2020 द्वारा दिये गये निर्देश-

आयोग द्वारा सहकारी समितियों के निर्वाचन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से सम्पन्न कराये जाने के उद्देश्य से पत्र संख्या-सी 131, दिनांक 26.12.2017 एवं परिपत्र संख्या सी-137, दिनांक 03.01.2018 द्वारा "आदर्श आचार संहिता" से सम्बन्धित दिशा-निर्देश से अवगत कराया गया है।

उपर्युक्त के सम्बन्ध में स्पष्ट करना है, कि आयोग द्वारा निर्गत "आदर्श आचार संहिता" निर्वाचन की घोषणा की तिथि से प्रभावी हो जायेगी और चुनाव की समाप्ति की तिथि से एक सप्ताह तक प्रभावी रहेगी।

ह0-
(पी0के0 महान्ति)
मुख्य निर्वाचन आयुक्त